UPSR040057652020

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (शीतला प्रसाद) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**06036

वारण्ट सम्मन्स क्रिमिनल केस/4838/2020

राज्य बनाम. अरुण कुमार गुप्ता उर्फ गुड्डू आदि

दिनांक 22.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण अरुण कुमार गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, अय्याश उर्फ इलियास तथा अशर्फीलाल, रमेश कुमार सोनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 13-07-2022 धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता वास्ते अभियुक्तगण को उन्मोचित किए जाने हेतु प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थीगण अरुण कुमार गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, अय्याश उर्फ इलियास तथा अशर्फीलाल,रमेश कुमार सोनी के विरुद्ध वादी मुकदमा प्रहलाद गुप्ता द्वारा सोची समझी साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। वादी मुकदमा प्रहलाद गुप्ता ने रामगोपाल उर्फ सुकई को अपना सगा भाई बताया है जबकि वादी मुकदमा की मां की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। सुकई वादी मुकदमा का सौतेला भाई है इसलिए वह सौतेले भाई की संपत्ति को हड़पना चाहता था अपने मकसद में जब वह सफल नहीं हुआ तब वह प्रार्थीगण व उनके मेली मददगारों को तंग व परेशान करने के लिए साजिशन मुकदमा पंजीकृत कराया। वादी ने अपने भाई के अपहृत होने की सूचना व गुमशुदगी की सूचना देने की बात अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताई है जबकि थाना स्थानीय द्वारा पूरे आरोपपत्र में गुमशुदगी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया है और ना ही उसके संबंध में पूरी केस डायरी में ही कहीं कोई जिक्र है। वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय से साज करके अनुचित लाभ लेकर पहले ही एक मुकदमा अपराध संख्या 224/2019 धारा 419 420 467 468 471 आईपीसी का दर्ज करवा कर अपने सौतेले भाई सुकई को जड़ साबित करने का पूरा प्रयास किया है। वादी द्वारा घटना दिनांक 12-10-2019 समय अज्ञात प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है और सोची समझी साजिश के तहत गुमशुदगी की सूचना दिनांक 18-10-2019 को तथाकथित बताया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 07-11-2019 को दर्ज कराया गया है। रामगोपाल उर्फ सुकई जड़ बुद्धि का नहीं है यदि वह जड़ एवं मंदबुद्धि का होता तो विवेचक के समक्ष दिए धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान व मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत हुए बयान में जड़ व मंदबुद्धि अथवा मानसिक रूप से

अस्वस्थता का उल्लेख जरूर हुआ होता। दोनों पक्षों के बीच जमीन संबंधी विवाद सिविल न्यायालय में चल रहा है जिसमें दिनांक 09-01-2020 को सुलहनामा दाखिल किया जा चुका है। इस प्रकार प्रार्थीगणों के विरुद्ध असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगणों को परेशान व तंग करने के उद्देश्य से वादी मुकदमा द्वारा यह मुकदमा कराया गया है। वादी मुकदमा द्वारा पुलिस से साज करके आवेदकगण के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 365,368 आईपीसी में प्रेषित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपने को निर्दोष होने का कथन करते हुए उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि उनके विरुद्ध धारा 365,368 आईपीसी का अपराध नहीं बनता है। उन्हें इस अपराध से उन्मोचित किया जाए। अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ समर्थित है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 239 सीआरपीसी का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्तगण अरुण कुमार गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, अय्याश उर्फ इलियास तथा अशर्फीलाल, रमेश कुमार सोनी ने रामगोपाल उर्फ सुकई को गुप्त रीति से सदोष परिरोध करने के आशय से अपहरण करके सदोष छुपाए रखने का अपराध किया है जो विवेचना से प्रमाणित है। विवेचक द्वारा प्रथम दृष्टया अभियुक्त गणों के विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर धारा 365,368 आईपीसी में आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया है।

अभियुक्त गण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 239 सीआरपीसी को निरस्त कर उनके विरुद्ध आरोप विरचित किया जाए।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्कर पाठक तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा वादी मुकदमा प्रहलाद के बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि वादी ने मात्र शंका के आधार पर अरुण कुमार गुप्ता, ओम प्रकाश वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, राम लाल उर्फ छोलन के विरुद्ध अपने भाई रामगोपाल उर्फ सुकई के लापता करने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई है। रामगोपाल उर्फ सुकई दौरान विवेचना अपने जीजा जीतराम यादव के साथ कस्बा बदला में दिनांक 14-12-2019 को समय 21:36 बजे मौजूद मिला। अपहृत रामगोपाल ने धारा 161 सीआरपीसी के तहत जिस तरह से क्रमवार विवेचक को बयान दिया है उसके दृष्टिगत यह नहीं कहा जा सकता कि वह मंदबुद्धि का व्यक्ति है। विवेचक द्वारा भी अपनी विवेचना में यह अंकन नहीं किया गया है कि वह मंदबुद्धि का व्यक्ति है। रामगोपाल का न्यायालय के समक्ष विवेचक ने धारा 164 सीआरपीसी के तहत कथन अंकित कराया है। रामगोपाल ने न्यायालय के समक्ष शसपथ बयान दिया है। बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि रामगोपाल उर्फ सुकाई मंदबुद्धि का व्यक्ति होना प्रतीत

नहीं हो रहा है क्योंकि उसके द्वारा धारा 161 व धारा 164 सीआरपीसी के तहत जो बयान दिया गया है वह एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ही दे सकता है इसके अतिरिक्त धारा 164 सीआरपीसी का कथन अंकित करते समय न्यायालय ने भी उसके मंदबुद्धि के होने का अंकन नहीं किया है जबकि इसी से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 224/ 2019 धारा 419 420 467 468 आईपीसी रामगोपाल उर्फ सुकई का जब विवेचक द्वारा बयान दिया गया है तब बयान के बाद यह अंकित किया गया है कि "कई अन्य सामान्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं" इस प्रकार वादी मुकदमा प्रहलाद समेत अन्य साक्षियों का अपराध संख्या 224/2019 में यह साक्ष्य लाते हैं कि रामगोपाल के मंदबुद्धि तथा जड़ बुद्धि होने का फायदा उठाकर उसकी जमीन का बगैर प्रतिफल दिए धोखा से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बैनामा करा लिए। अपराध संख्या 224/2019 में विवेचक व वादी मुकदमा का यह जोर रहा है कि सुकई मंदबुद्धि का व्यक्ति है तथा अपराध संख्या 282/2019 (प्रश्नगत प्रकरण) के केस डायरी में अंकित रामगोपाल उर्फ सुकई की धारा 161 व धारा 164 सीआरपीसी के बयान से यह किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता है कि रामगोपाल उर्फ सुकई स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं है। संपूर्ण विवेचना से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी गण अभियुक्त गण को परेशान व तंग करने के उद्देश्य से वादी द्वारा यह आपराधिक अभियोग पंजीकृत किया गया है। केस डायरी में तथा आरोपपत्र में अभियुक्तगण का अन्य किसी आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया गया आरोप असत्य प्रतीत हो रहा है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने धारा 365,368 आईपीसी का अपराध नहीं किया है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि केस डायरी में जो साक्ष्य संकलित किया गया है उससे धारा 365,368 आईपीसी के आवश्यक तत्व गठित नहीं होते हैं।

पी विजयन बनाम केरल राज्य और अन्य निर्णय तिथि 27-01-2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह उद्धृत किया है कि "आरोप तय करने के चरण में यदि दो विचार संभव हैं और उनमें से केवल एक संदेह को जन्म देता है जैसा कि गंभीर संदेह से अलग है तब विचारण जज को आरोपी को मुक्त करने का अधिकार होगा। इस चरण पर वह यह देखने के लिए नहीं है कि मुकदमा दोष सिद्धि में समाप्त होगा या दोष मुक्ति में।"

सज्जन कुमार बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो निर्णय तिथि 20-09-2010 मैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया है कि "आरोप विरचित करने के पूर्व यदि न्यायालय के समक्ष दो दृष्टिकोण आते हैं जिनमें से केवल एक संदेह को जन्म देता है जैसा कि गंभीर संदेह से अलग है तब विचारण न्यायाधीश को अभियुक्त को आरोप मुक्त करने का अधिकार होगा।"

संजय कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य आपराधिक अपील संख्या 472 निर्णय तिथि 07-05-2021 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उद्धरित किया है कि- " डिस्चार्ज अभियुक्त को प्रदान किया गया मूल्यवान अधिकार है। अदालत को यह पता लगाने के लिए सबूतों की जांच करनी होगी कि क्या संदिग्ध पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार है।"

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण अरुण कुमार गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, अय्याश उर्फ इलियास, रमेश कुमार सोनी तथा अशर्फीलाल के विरुद्ध धारा 365,368 आईपीसी के तहत आरोप विरचित किए जाने का आधार नहीं है। तदनुसार अभियुक्तगण धाराधारा 365,368 आईपीसी के आरोप से उन्मोचित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्तगण अरुण कुमार गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, अय्याश उर्फ इलियास, रमेश कुमार सोनी तथा अशर्फीलाल को धारा 365,368 आईपीसी के आरोप से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती।